तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 31/2024**	नम्बर व तारिख ... जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
28.10.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी शंकर पुत्र अमराराम जी कलबी, जाति– कलबी, निवासी हाल– आरासुरी नगर, वीरवाडा, तह. पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबाकरर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म श्री खेतेश्वर सेल्स एजेन्सी, आरासुरी नगर, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (फर्म श्री स्वामी नारायण फूडस् प्रा.लि., सर्वे नम्बर 88–P-3, opp. Gondal Boundry, Rajkot-Bhavnagar Highway, At. Virnagar, Ta. Jasdan. Dist.-Rajkot (Guj.)-360060) अनुस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी शंकर के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.3.2023 को फर्म श्री खेतेश्वर सेल्स एजेन्सी, आरासुरी नगर, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी शंकर पुत्र अमराराम जी कलबी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ नमकीन (ब्राण्ड– श्री हरि) का नमूना संख्या S-2063 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./704/Act/2022/747 दिनांक 01.4.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी शंकर को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी शंकर की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया व खरीद बिल की छाया प्रति प्रस्तुत की। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी शंकर के अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि प्रतिवादी शंकर की फर्म श्री खेतेश्वर सेल्स एजेन्सी, आरासुरी नगर, वीरवाडा द्वारा नमकीन (ब्राण्ड– श्री हरि) को वेट इनवोईस बिल संख्या GJTD7699 दिनांक 02.3.2023 के द्वारा फर्म श्री स्वामी नारायण फूडस् प्रा. लि., सर्वे नम्बर 88–P-3, opp. Gondal Boundri, Rajkot-Bhavnagar Highway, At. Virnagar, Ta. Jasdan. Dist.-Rajkot (Guj.)-360060 से क्रय किया गया था। जिस पर फर्म श्री स्वामी नारायण फूडस् प्रा.लि., सर्वे नम्बर 88–P-3, opp. Gondal Boundri, Rajkot-Bhavnagar Highway, At. Virnagar, Ta. Jasdan. Dist.-Rajkot (Guj.)-360060 को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.7.2024 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 78 के तहत पक्षकार बनाया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने व धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध करने के संबंध में नोटिस जारी किया जाकर पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया, लेकिन उक्त फर्म श्री स्वामी नारायण फूडस् प्रा.लि., सर्वे नम्बर 88–P-3, opp. Gondal Boundri, Rajkot-Bhavnagar Highway, At. Virnagar, Ta. Jasdan. Dist.-Rajkot ....लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

पीठा. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:27 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 31/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

(Guj.)-360060 को नोटिस की पंजीकृत डाक तामिल होने के बावजूद भी फर्म श्री स्वामी नारायण फूडस् प्रा.लि. की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ एवं न ही बचाव में जवाब व साक्ष्य–प्रस्तुत हुआ। अतः प्रकरण में फर्म श्री स्वामी नारायण फूडस् प्रा.लि. के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रतिवादी शंकर के अधिवक्ता की दिनांक 22.10.2024 को बहस सुनी गई। प्रतिवादी शंकर के अधिवक्ता ने प्रतिवादी शंकर के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि उक्त नमकीन को प्रतिवादी ने निर्माता/पैकर फर्म श्री स्वामी नारायण फूडस् प्रा.लि. से पैकिंग अवस्था में क्रय कर पैकिंग अवस्था में विक्रय किया है एवं मिथ्याछाप लेबलिंग के लिये निर्माता जिम्मेदार है। अतः प्रतिवादी शंकर को दोषमुक्त किया जावे।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 16.3.2023 को समय 01.00 पी.एम. पर फर्म श्री खेतेश्वर सेल्स एजेन्सी, आरासुरी नगर, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही परं खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। फर्म श्री खेतेश्वर सेल्स एजेन्सी में विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी शंकर पुत्र अमराराम जी कलबी, जाति– कलबी, निवासी हाल– आरासुरी नगर, वीरवाडा, तह. पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो फर्म श्री खेतेश्वर सेल्स एजेन्सी में आम जन को खाद्य पदार्थ नमकीन (ब्राण्ड़– श्री हरि) आदि खाद्य सामग्री का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा फर्म श्री खेतेश्वर सेलस एजेन्सी की दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ नमकीन (ब्राण्ड– श्री हरि) के 40 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 250 ग्राम) में मिलावट का शक होने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन (ब्राण्ड– श्री हरि) के 4 पैक्ड पैकेटों (प्रत्येक 250 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह श्री राजेन्द्र गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष राशि रुपये 280/– (अक्षरे रुपये दो अस्सी मात्र) में कीमतन क्रय किये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने नियमानुसार लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम नमकीन (ब्राण्ड– श्री हरि) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता शंकर एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये तथा श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा नमकीन (ब्राण्ड– श्री हरि) के चारों पैक्ड पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं चारों नमूना पैकेटों को अलग–अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लीप S-2063 को नियमानुसार गों[illegible] चिपकाया [illegible] प्रत्येक नमूना भाग को धागे

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:27 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No. 31/2024**	नम्बर व तारिख [illegible] जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता शंकर एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं के कब्जे में लेकर मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता शंकर एवं उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर–6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं ने दिनांक 20.3.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 21.3.2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी फार्म नंबर 5ए, खाद्य पदार्थ नमकीन (ब्राण्ड– श्री हरि) के क्रय की रसीद/बिल व मौका फर्द आदि दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म श्री खेतेश्वर सेल्स एजेन्सी, आरासुरी नगर, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता शंकर से खाद्य पदार्थ नमकीन (ब्राण्ड– श्री हरि) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत क्रय करने की कार्यवाही विधि अनुसार की गई है। प्रकरण में खाद्य पदार्थ नमकीन (ब्राण्ड–श्री हरि) के नमूना संख्या S-2063 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./704/Act/2022/747 दिनांक 01.4.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ नमकीन (ब्राण्ड–श्री हरि) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी विक्रेता शंकर की फर्म श्री आरासुरी सेल्स एजेन्सी, आरासुरी नगर, वीरवाडा द्वारा खाद्य पदार्थ नमकीन (ब्राण्ड़– श्री हरि) के 250–250 ग्राम के पैक्ड पैकेटों को वेट इनवोईस बिल संख्या GJTD7699 दिनांक 02.3.2023 के द्वारा फर्म श्री स्वामी नारायण फूडस् प्रा.लि., सर्वे नम्बर 88–P-3, opp. Gondal Boundri, Rajkot-Bhavnagar Highway, At. Virnagar, Ta. Jasdan. Dist.-Rajkot (Guj.)-360060 से क्रय किया गया था, जो खाद्य पदार्थ नमकीन (ब्राण्ड़– श्री हरि) की निर्माता/पैकर फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विनिर्माताओं, पैकरों, विक्रेता, थोक विक्रेताओं और वितरकों के दायित्व दिये हुये है, जिसके अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर/निर्माता जिम्मेदार है। इस प्रकार [illegible] में यह तथ्य स्पष्ट है कि .....लगातार	

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:27 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 31/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

प्रतिवादी शंकर तथा प्रतिवादी निर्माता/पैकर फर्म श्री स्वामी नारायण फूडस् द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ नमकीन (ब्राण्ड– श्री हरि) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ नमकीन (ब्राण्ड–श्री हरि) के विक्रय हेतु प्रतिवादी शंकर पुत्र अमराराम जी कलबी, जाति– कलबी, निवासी हाल– आरासुरी नगर, वीरवाडा, तह. पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबाकरर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म श्री खेतेश्वर सेल्स एजेन्सी, आरासुरी नगर, वीरवाडा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ नमकीन (ब्राण्ड–श्री हरि) के निर्माण/पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी फर्म श्री स्वामी नारायण फूडस् प्रा.लि., सर्वे नम्बर 88–P-3, opp. Gondal Boundri, Rajkot-Bhavnagar Highway, At. Virnagar, Ta. Jasdan. Dist.-Rajkot (Guj.)-360060 पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी शंकर तथा प्रतिवादी फर्म श्री स्वामी नारायण फूडस् प्रा.लि. के अधिकृत प्रतिनिधि को आदेशित किया जाता है कि उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी. डी. आयन्दा दिनांक 04.12..2024 को पेश हो।

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 11:11:27 IST
Reason: SelfAttested